लालसोट जिला दौसा (राज

31-7-23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थनापत्र धारा 136 का अवलोकन किया रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट का भी अवलोकन किया गया जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर हस्ता० मिसल किया गया तहसीलदार लालसोट को इत्तिला दी हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :— 183/2017
रज्जू दिनांक : 13—10—2017

पीठासीन अधिकारी
श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

फज्जीराम पुत्र कल्याण जाति माली निवासी वार्ड नं0 13 मण्डावरा की ढाणी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय

दिनांक : 31-7-23

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 3565 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 3567 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3568 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 3569 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 3573 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 3574 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट पटवार हल्का लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 में स्थित है। जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त आराजीयात खसरा नंम्बरान के राजस्व रिकार्ड में बिरदा पुत्र कल्याण का हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी फज्जीराम का नाम सहबन से बिरदा पुत्र कल्याण दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, प्राधिकरण (आधार कार्ड) में प्रार्थी का नाम फज्जीराम पुत्र कल्याण माली निवासी मण्डावरा की ढाणी लालसोट अंकित है। जो बिलकुल सही एवं सत्य है। जो बिलकुल सही है। आम बोलचाल में प्रार्थी को बिरदा कहकर बुलाते है बिरदा एवं फज्जीराम एक ही व्यक्ति है। जो कल्याण की संतान है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम फज्जीराम ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सहबन से बिरदा दर्ज होने से प्रार्थी को के.सी.सी. लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी आया है। आराजी खसरा नं0 3565 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 3567 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3568 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 3569 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 3573 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 3574 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट पटवार हल्का लालसोट के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संम्वत 2068 से 2071 में प्रार्थी का नाम बिरदा पुत्र कल्याण को विलोपित कर उसके स्थान पर फज्जीराम पुत्र कल्याण किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट से दुरूस्त इन्द्राज बावत रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 3565 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 3567 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3568 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 3569 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 3573 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 3574 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट पटवार हल्का लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा वाली मे प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में बिरदा दर्ज हो रहा है जबकि अन्य दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, प्राधिकरण (आधार कार्ड) में प्रार्थी का नाम फज्जीराम पुत्र कल्याण है जो सही एवं दुरूस्त है तथा तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन मे गवाह फज्जीराम का शपथ पत्र पेश जिससे की प्रार्थना पत्र दुरूस्त किया जाकर फज्जीराम पुत्र कल्याण किया जाना उचित है जिससे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जकार तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नं0 3565 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 3567 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3568 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 3569 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 3573 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 3574 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में हो रहे गलत अंकन बिरदा पुत्र कल्याण को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर फज्जीराम पुत्र कल्याण माली राजस्व अभिलेख में अंकन करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीनो)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)